अपने ही साथी के वार से गई थी युवक की जान

चाकू के वार से युवक की हत्या का मामला

भीलवाड़ा, (निसं)। शहर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र में 23 जून की शाम को चितौड़गढ़ रोड पर हुई यूपी के शाकिर की चाकू गोद के हत्या के मामले में पुलिस ने चोकाने वाला खुलासा किया है। मृतक शाकिर के साथियों ने कार सवार युवकों द्वारा शाकिर को चाकू मारने और उपचार के दौरान उसकी मौत होना बताया था। वहीं पुलिस की जांच में यह पूरी कहानी उलटी निकली।

प्रताप नगर थाना प्रभारी अरविंद सिंह के अनुसार घटना वाली शाम को मृतक शाकिर अपने दो साथियों के साथ स्कूटी पर सवार होकर कार सवार युवकों को लूट रहे थे। इसी दौरान शाकिर के साथी ने युवकों पर चाकू से वार किया था। यह चाकू युवकों के बजाय शाकिर को लग गया और वह गंभीर घायल हो गया। पुलिस ने इस मामले में शाकिर के साथी यूपी हाथरस निवसी जावेद पुत्र ईशाक मोहम्मद व शमशाद पुत्र बरकत अली को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी आदर्श सिद्धू ने बताया कि 23 जून की देर शाम को यूपी हाथरस निवासी शाकिर (27) को लहुलूहान हालत में महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। सूचना मिलने के बाद प्रताप नगर पुलिस भी हॉस्पिटल पहुंच गई थी। शाकिर के साथी यूपी हाथरस हाल चपरासी कॉलोनी निवासी जावेद पुत्र ईशाक मोहम्मद ने पुलिस को बताया कि घायल शाकिर, को उनके साथ हुई लूट की घटना के बारे में बताया। जिसके बाद पुलिस को पूरी कहानी समझ में आ गई। उदयपुर के तीनों युवकों द्वारा बताई गई बात के बाद पुलिस ने मृतक के साथी शमशाद को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो घटना की हक़ीक़त सामने आ गई।

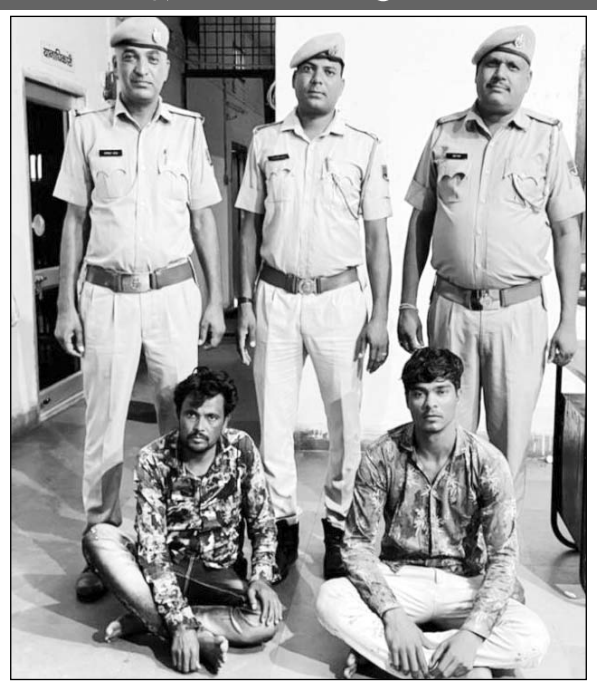

प्रताप नगर थाना पुलिस ने मामले में दो जनों को गिरफ्तार किया।

- इस मामले में शाकिर के साथियों को गिरफ्तार किया

उसने बताया कि 23 जून की शाम को मृतक शाकिर, जावेद और उसने चित्तौड़गढ़ रोड पर शराब पी थी। उसके बाद तीनों स्कूटी पर चोरी या लूट करने निकले थे। इसी समय तीनों युवकों की कार उन्हें नजर आ गई थी। तीनों ने स्कूटी कार के सामने लगा दी और जावेद ने चाकू निकालकर तीनों युवकों को डरा दिया और उनके मोबाइल व चांदी की चेन लूट ली। इस दौरान युवकों ने बचने की कोशिश की। इस पर जावेद के चाकू से युवकों पर वार कर दिया। चाकू का एक वार एक युवक को लगा और दूसरा वार चूक कर शाकिर के ही सीने में लग गया था। जिससे वह घायल हो गया। घटना के बाद तीनों युवक वहां से भाग गए। वहीं शमशाद भी घबराकर वहां से फरार हो गया था। पुलिस ने गहनता से जाँच के बाद आज इस पूरी वारदात का खुलासा किया है।

जावेद व शमशाद मजदूरी कर स्कूटी पर घर लौट रहे थे।

इस दौरान चित्तौड़गढ़ रोड पर गुरु नानक पेट्रोल पंप के सामने पीछे से आ रही कार ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी। इस पर शाकिर ने कार में सवार युवकों को इसकी उलाहना दी। जिस पर नाराज होकर उन युवकों ने शाकिर को चाकू मार दिया था। इस दौरान तीनों युवकों का मोबाइल वहीं गिर गया। इधर, शाकिर की गंभीर हालत को देखते हुए उसे उदयपुर रेफर कर दिया गया था। वहां दुसरे दिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। जावेद द्वारा पुलिस को दिए गए तीनों युवकों के मोबाइल से पुलिस ने युवकों का पता लगा दिया। कार में सवार युवक उदयपुर निवासी उमेश गवारिया, मनीष सैन व जतिन गवारिया के रूप में हुई। तीनों युवकों ने थाने में पेश होकर 23 जून की शाम

72 पाक विस्थापितों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे

भारतीय नागरिक बनने पर गाया 'सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा'

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर जिले में 30 जून, शुक्रवार को होने वाले राज्य स्तरीय नागरिकता शिविर से पूर्व विशेष शिविर का आयोजन बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित गांधी पार्क में आयोजित किया गया।

इस शिविर में 72 पाक विस्थापित नागरिकों को नागरिकता प्रमाण पत्र एवं स्वीकृति पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर राज्य पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी, शहर विधायक मनीषा पंवार, हिंदु सिंह सोढ़ा, संभागीय आयुक्त कैलाश चंद मीना, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, प्रोबेशनरी आईएएस डॉ. अंशुप्रिया, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर (प्रथम) डॉ. भास्कर बिश्नोई एवं गृह विभाग के शासन उप सचिव राजेश जैन द्वारा पाक विस्थापितों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे गए। शहर विधायक मनीषा पंवार ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए कि आज आप हमारे परिवार के आधिकारिक रूप से हिस्सा बन गए है। उन्होंने भारतीय नागरिकता मिलने पर बधाई दी। सम्भागीय आयुक्त ने कहा कि आज आपका भारत भूमि पर पुनर्जन्म हुआ है। आपको भारतीय संविधान में वर्णित अधिकारों के प्रयोग के साथ ही कर्तव्यों को पालन भी करना होगा। जिला कलेक्टर गुप्ता ने अपने उद्बोधन में कहा कि राज्य सरकार के सुशासन के संकल्प को साकार करने की दिशा में जिला प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ जुटा हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप जोधपुर जिले में पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का कार्य तत्परता से किया जा रहा है। इस अवसर उन्होंने नागरिकता प्राप्त करने वाले लोगों और प्रशासन की संपूर्ण टीम को बधाई दी। डॉ.भास्कर विश्नोई ने बताया कि 30 जून, शुक्रवार को राज्य स्तरीय नागरिकता शिविर डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज में आयोजित होगा, जिसमें नागरिकता प्रमाण पत्र वितरित किये जायेंगे।

नागरिकता मिलने पर अपने मन के उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि ये खुशी के आंसू है क्यूंकि आज से हम हिंदुस्तानी बन गए हैं। नागरिकता मिलने पर सामुहिक रुप से पाक विस्थापितों ने गाया सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। भारतीय नागरिकता प्राप्त लोगों ने मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन तथा प्रदेश सरकार का आभार जताया और कहा कि उनकी इच्छा को पूरी कर सरकार ने उन्हें सम्बल दिया है।

दो साथियों ने महिला से दुष्कर्म किया

नोखा, (निसं)। महिला को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले एक आरोपी को जेल भेजा जा चुका है। इस संबंध में पीड़िता की बहन ने मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट में बताया कि 2 जून को आरोपी आरोपी राजूराम मेघवाल व मोतीराम जाट भगाकर बहन को जोधपुर के एक गांव ले गए और दुष्कर्म किया। रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर किया गया था। थानाधिकारी ईश्वरप्रसाद जांगिड़ ने बताया कि मामले में आरोपी मोतीराम जाट को पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। वहीं, कार्रवाई करते हुए एक आरोपी हिम्मटसर नोखा निवासी राजूराम मेघवाल को भी दबोच लिया है। मामले की जांच नोखा सीओ मुकेश सोनी कर रहे थे।

राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग के अनुज भ्राता का निधन

भरतपुर, (निसं)। तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग के अनुज भ्राता विनोद गर्ग का बुधवार को आकस्मिक निधन हो गया। वे 61 वर्ष के थे। उनके निधन का समाचार सुनकर महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई मंत्रियों व विधायकों ने शोक संवेदना व्यक्त की। जबकि पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने उनके निवास पर पहुंचकर शोक संतप्त परिवार व डॉ. गर्ग को ढांढस बंधाया और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति प्रदान करने की कामना की।

अनुज भ्राता विनोद गर्ग की शवयात्रा नई मंडी स्थित निवास से शुरु हुई जो नई मण्डी मोक्ष धाम पर पहुंची। जहां हुये उनके अन्तिम संस्कार में पुत्र तन्मय गर्ग ने मुखाग्नि दी। शवयात्रा में पूर्व विधायक निर्भय सिंह, पूर्व प्रधान निहालसिंह, प्रधान प्रतिनिधि सतीश सोगरवाल, उपप्रधान ओमप्रकाश हथैनी, कांग्रेस के शहर अध्यक्ष डॉ. दयाचन्द पचौरी, कांग्रेस के सेवर ब्लॉक अध्यक्ष दीनदयाल जाटव, कुम्हेर नगर पालिका के चेयरमैन राजीव अग्रवाल, लोकदल के जिला अध्यक्ष संतोष फौजदार, शहर अध्यक्ष विनोद गुप्ता, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अखिलेश पिप्पल, नगर निगम के आयुक्त सुभाष गोयल, नगर विकास न्यास के सचिव कमलराम मीणा, उपखण्ड अधिकारी देवेन्द्र सिंह परमार, मेडीकल कॉलेज के प्राचार्य सुभाष बंसल, पुलिस उपाधीक्षक शहर नागेन्द्र कुमार सिंह, विकास अधिकारी देवेन्द्र कुमार सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश मित्तल, समृद्ध भारत के संयोजक सीताराम गुप्ता सहित विभिन्न समाजों, राजनैतिक दलों, सामाजिक संगठनों, पंचायत राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधि, पार्षदगण, पत्रकार एवं सभी ग्राम पंचायतों से आये सैकडों लोग शामिल हुये। डॉ. गर्ग के अनुज भ्राता की श्रद्धांजलि सभा शुक्रवार 30 जून को सांय 4 से 5 बजे सैक्टर-3 स्थित राज गार्डन में होगी तथा नियमित बैठक रनजीत नगर स्थित ए-88 पर रहेगी।

प्रशिक्षण जारी

जोधपुर, (का.सं.)। बार कौंसिल ऑफ राजस्थान एवं राष्ट्रीय विधि विश्वविघालय, जोधपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित राजस्थान के युवा अधिवक्ताओं को पांच दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन बुधवार को प्रथम पारी में राष्ट्रीय विधि विश्वविघालय की फेकल्टी मेम्बर्स डॉ. रोशमी जॉन, एस. बागची, रणजीत थॉमस ने अपने-अपने व्याख्यान दिए। कार्यक्रम की द्वितीय पारी में बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के सह अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. सचिन आचार्य आदि ने व्याख्यान दिए।

पंडेर थाना प्रभारी के ख़िलाफ़ प्रदर्शन

थाना प्रभारी पर होटल संचालक के साथ मारपीट का आरोप लगाया

भीलवाड़ा, (नि.सं.)। जिले के पंडेर थाना प्रभारी ओमप्रकाश नायक के खिलाफ भाट समाज के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। थाना प्रभारी पर कस्बे के एक होटल संचालक के साथ मारपीट का आरोप लगाया गया है। पिछले दो दिनों ने ग्रामीण थाना प्रभारी को हटाने के लिए जहाजपुर एसडीएम व सीओ को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही कस्बे में विरोध रैली निकाली है।

भाट समाज द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि पंडेर थाना क्षेत्र से नेशनल हाईवे 148 डी गुजर रहा है। इस हाईवे के किनारे मदन भाट की होटल व घर है। मदन भाट सरकारी कर्मचारी भी है। 26 जून की रात को पंडेर थाना प्रभारी ओमप्रकाश नायक उसकी होटल पर आए और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। मदन भाट ने थाना प्रभारी को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने और उसे गाड़ी में बैठाकर थाने ले आए। जहां दूसरे दिन मदन भाट की गिरफ्तारी दिखाकर कोर्ट में पेश कर दिया। मदन भाट के साथ थाना प्रभारी द्वारा किए गए इस तरह के व्यवहार के चलते भाट समाज में आक्रोश उपज गया। भाट समाज के लोगों का कहना है कि अगर 7 दिन में थाना प्रभारी को नहीं हटया गया तो भाट समाज उठा प्रदर्शन करेंगा।

इस मामले में जहाजपुर सीओ हंसराज बैरवा ने बताया कि भाट सामाज द्वारा दिया गया ज्ञापन मिला है। ज्ञापन में पंडेर थाना प्रभारी के खिलाफ शिकायत की गई है। इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी।

नया गांव सरपंच के ससुर ने महिला श्रमिकों को मनरेगा से निकाला

सरपंच के ससुर ने कहा कि जब तक मेरी बहू सरपंच है तब तक मनरेगा में काम नहीं करने दूंगा

मसूदा, (निसं)। राजस्थान सरकार महंगाई राहत शिविर आयोजित कर राहत पहुंचाने का कार्य कर रही हैं वहीं दूसरी ओर पंचायतराज संस्थानों में सरपंच के स्थान पर उनके पुत्र, ससुर, पति यहां तक कि अन्य व्यक्तियों द्वारा कार्य किए जाने के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। यहां तक कि इन चुने हुए जन प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर भी उनके प्रतिनिधि करते हैं। ताजा मामले में नया गांव सरपंच के ससुर द्वारा मनरेगा में कार्य कर रहे श्रमिकों को निकाले जाने एवं उनकी अनुपस्थिति दर्ज किए जाने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर पीड़ित पक्ष द्वारा उपखंड अधिकारी एवं विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंप कर कार्यवाही की मांग की गई।

पीड़ित पक्ष ने उपखंड अधिकारी एवं विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में नयागांव कोट का बाडिया निवासी रजिया पत्नी फतेह मोहम्मद ने बताया कि वह नरेगा के तहत पिछले एक महिने से काम कर रही थी। उसके साथ ही शारदा पत्नी उस्मान, रेखा पत्नी कमरूदीन, रमजान पुत्र सुवा मनरेगा के तहत ही कार्य कर रहे थे। 24 जून को रजिया इन व्यक्तियो के साथ गांव कोट का बाडिया घोटलाई के पास हण्डोली गाल में नाडी बनाने का कार्य कर रहे थे। उसी समय सरंपच के ससूर मनफुल उनके पास आया और पूछा कि आप लोग यहां पर कैसे काम कर रहे हो। तब उन्होंने कहा कि इनको यहां पर मेट मेघराज ने काम पर लगाया है और पिछले एक महिने से मनरेगा के तहत काम कर रहे है। इतना सुनते ही सरपंच का ससूर मनफुल आग बबूला हो गया और उनके सामने ही मेट मेघराज को बुलाकर उस पर चिल्लाने लगा कि इनको कैसे काम पर रखा है। कहते हुऐ मेट मेघराज से उसका मस्ट्रोल छीन कर मस्ट्रोल में चल रही उनकी हाजरी को काट दिया और कहां कि आज के बाद किसी भी आदमी ने इनको पूरी ग्राम पंचायत में कहीं भी काम पर रखा तो इन लोगों की तरह उन लोगों को भी काम से हटा देगा। जब तक मेरी बहू सरपंच है तबतक मनरेगा में काम नही करने दूंगा इतना कहते हुऐ वहां से भगा दिया और ऐलानिया धमकी दी कि देखता हूं कि तुम लोग यहां पर कैसे काम करते हो।

तब हमने इसकी शिकायत सरंपच शबनम बानो से की तो सरपंच ने कहा कि आप जानो और ससुर जी जाने। इस ग्राम पंचायत में तो वो ही होगा जो उनके ससूर मनफूल चाहेंगे। उन्होंने कहा कि सरंपच तो आप हो तो वे कहने लगी कि में तो नाम की सरपंच हूं, सारा काम तो उनके ससूर मनफूल ही करते है। उन्होंने तुम लोगों को हटा दिया तो हटा दिया जो कर सकते हो वो कर लो। अब तुम लोगों को कोई भी इस ग्राम पंचायत नयागांव में काम पर नहीं रखेगा। ज्ञापन में कहा गया कि मामले को लेकर उचित कार्यवाही करें एवं उनके किए गए कार्य का भुगतान करवाए। फिरोज खान विकास अधिकारी पंचायत समिति मसूदा का कहना है कि नया गांव पंचायत की शिकायत मिली है, जिसे लेकर सहायक विकास अधिकारी रामकरण मीणा, बिंजा राम सिंगारिया एवं सहायक अभियंता प्रमोद कुमार की जांच कमेटी का गठन किया गया है। मामले की जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी।

पैंथर ने तीन दिन में चार बकरियों पर हमला किया

पैंथर को पकड़ने के लिये वन विभाग ने लगाया पिंजरा

राजसमंद, (निसं)। पिछोरा गांव में पिछले 15 दिनों से पैंथर की चहल कदमी से ग्रामीणों में खौंफ बना हुआ है। पैंथर ने पिछले तीन दिनों में दिनदहाडे चार बकरियों का शिकार कर लिया। इसके बाद ग्रामीण काफी सहम गए। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग ने पैंथर के आने जाने वाले ठिकानों पर पिंजारा लगाया। कुंभलगढ़ उपखण्ड के कालिंजर पंचायत के पिछोरा गांव में पिछले 15 दिनों से गांव के आस-पास पैंथर की हलचल से ग्रामीणों में खौफ बना हुआ है।

गांव के सज्जनसिंह सोलंकी ने बताया कि 25 जून को वह बीड में बकरियां चरा रहा था तभी घात लगाए बैठे पैंथर ने हमला कर दो बकरियों को मार डाला। इसके दूसरे दिन गांव के भभूतसिंह की दो बकरियों का शिकार कर दिया। बीड में पैंथर के हमले के बाद आसपास के चारवाहों ने हल्ला किया तो पैंथर भाग निकला। बुधवार को भी बीड में पैंथर ने एक बकरी पर अटैक किया मगर ग्रामीणों ने हल्ला कर बकरी को बचा लिया।

- पैंथर की हलचल से ग्रामीणों में खौफ बना हुआ है

ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के बताए अनुसार पैंथर के आने जाने वाले ठिकानों पर पिंजरा लगाया। विभाग की टीम ने पैंथर को पकडने के लिए पिंजरे में एक कुत्ता बांध दिया है। इस दौरान वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों से पैंथर से सावधान रहने की अपील की साथ ही उन्होंने कहा कि दिन के समय जंगल में बकरिया चराते समय सभी सतर्क रहे।

ए.टी.एम. कार्ड बदल धोखाधड़ी

श्रीगंगानगर, (निसं)। जवाहर नगर थाने में देर शाम ए.टी.एम. कार्ड बदलकर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ। महिला ने प्राइवेट बैंक में लोन के लिए एप्लाई किया था। वह रुपए निकलवाने के लिए ए.टी.एम. गई थी। इस दौरान दो लड़कों ने उसका ए.टी.एम. अपने दूसरे ए.टी.एम. से बदल लिया। कुछ देर बाद ही उसके ए.टी.एम. से एक लाख सात हजार रुपए की शॉपिंग कर डाली। महिला के मोबाइल पर मैसेज आया तब धोखाधड़ी का पता लगा। महिला ने जवाहर नगर थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया है।

एसएसबी रोड के जगदीश कुमार पुत्र हरिराम ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी पत्नी का प्राइवेट बैंक से लोन पास हुआ था। ऐसे में वह रुपए निकलवाने के लिए बैंक के ए.टी.एम. पर गई थी। उसके ए.टी.एम. में प्रवेश करते ही दो युवकों ने भी ए.टी.एम. में प्रवेश किया। उसे रुपए निकलवाने में कुछ दिक्कत आई तो उसने युवकों से मदद मांगी। युवकों ने कुछ देर बाद उसे ए.टी.एम. वापस देते हुए कहा कि इससे रुपए अभी नहीं निकलेंगे। कल ही अब इससे रुपए निकलवाए जा सकेंगे।

कोर्ट ने हिस्ट्रीशीटर बंबानी की जमानत खारिज की

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर शहर के डाली बाई मंदिर क्षेत्र स्थित वीतराग सिटी फायरिंग मामले में गिरफ्तार हिस्ट्रीशीटर दिनेश बंबानी की जमानत याचिका खारिज हो गई। मंगलवार को हिस्ट्रीशीटर दिनेश बंबानी की जमानत याचिका पर अपर जिला सेशन कोर्ट 2 में सुनवाई हुई।

इस पर जस्टिस प्रवीण कुमार मिश्रा ने जमानत खारिज कर दी। बंबानी पर पहले से ही दस मुकदमे चल रहे हैं, इसका हवाला देते हुए कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक अनिल देवड़ा व परिवादी की ओर से अधिवक्ता दिनेश कुमार शर्मा ने पक्ष रखा। बंबानी के वकील ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में कई बार पूछताछ करने के लिए बंबानी को थाने में बुलाया था। तब बंबानी की भूमिका नहीं पाई गई। इस पर उसे गिरफ्तार नहीं किया गया।

- जोधपुर की वीतराग सिटी में दिनदहाड़े की थी फायरिंग

उन्होंने पक्ष रखते हुए कहा कि यह गिरफ्तारी सिर्फ हिस्ट्रीशीटर कैलाश मांजू द्वारा पुलिस पर मिलीभगत के वीडियो वायरल करने के चलते दबाव बनाने पर की गई है। बंबानी के वकील ने बहस के दौरान यह भी बताया कि 1 फरवरी को फायरिंग की घटना विक्रम नांदिया ने अपने पर हुए हमले का बदला लेने के लिए की थी। इस घटना के बाद 9 मार्च को बंबानी को हिरासत में लिया गया था और न्यायालय सहायक पुलिस आयुक्त एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट में पेश भी किया था। तब बंबानी को 2 साल के लिए पाबंद किया था। यदि आरोप सिद्ध होता तब पुलिस बंबानी को उसी समय गिरफ्तार कर लेती। सरकारी वकील ने तर्क रखते हुए कहा कि गवाहों के बयानों में घटना स्थल से कुछ दूरी पर बंबानी व नांदिया कार में खड़े थे और शूटर को हथियार देकर भेजने का काम भी दोनों ने ही किया है।

इस पर दोनों को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया। दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। जानकारी के अनुसार एक फरवरी को वीतराग सिटी में सरे आम धाक लगाए बैठे शूटर्स ने राकेश मांजू पर गोलियां चला दी थीं। यह फायरिंग दो वर्ष पहले हिस्ट्रीशीटर विक्रम नांदिया पर हुई फायरिंग का रिवेंज थी। इसके बाद पुलिस ने विक्रम नांदिया व बंबानी को 20 जून को गिरफ्तार किया था। इसके बाद दोनों को जेल हो गई। दिनेश बंबानी की ओर से 26 जून को अपर सेशन न्यायाधीश संख्या दो में जमानत याचिका दायर की गई, जिस पर 27 जून को सुनवाई के दौरान खारिज कर दी गई।

युवक को हनीट्रेप में फंसाया

श्रीगंगानगर, (निसं)। क्षेत्र के सादुलशहर में युवक को घर बुलाकर मारपीट और हनीट्रेप में फंसाने का मामला सामने आया है। युवक ए.टी.एम. ठीक करने का काम करता है। इसी दौरान जिले के पदमपुर में ए.टी.एम. ठीक करने के दौरान युवती के संपर्क में आया। यहां से दोनों में दोस्ती बढ़नी शुरू हो गई। दोनों ने एक-दूसरे को मोबाइल नंबर दे दिए और बातचीत होने लगी। दोनों के बीच नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि पीड़ित आरोपी महिला के बुलावे पर उसके घर पहुंच गया। सादुलशहर में उसके घर पहुंचने पर युवती ने उसे हनी ट्रेप में फंसाकर उसके अश्लील वीडियो बना लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस को दी रिपोर्ट में श्रीगंगानगर के निवासी युवक ने बताया कि वह हनुमानगढ़ जिले के फेफाना का रहने वाला है और अभी श्रीगंगानगर रह रहा है। वह ए.टी.एम. ठीक करने का काम करता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात पदमपुर में सादुलशहर निवासी युवती से हुई।

'क्षमता से अधिक सवारी होने पर भी बीमा दावा खारिज नहीं किया जा सकता'

स्थाई लोक अदालत जोधपुर ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में यह व्यवस्था दी

जोधपुर, (कासं)। स्थाई लोक अदालत जोधपुर ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में यह व्यवस्था दी है कि वाहन में पंजीकृत क्षमता से अधिक सवारी होने पर भी बीमा दावा खारिज नहीं किया जा सकता बशर्ते दुर्घटना की वजह अधिक सवारी न हो। अदालत के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार शर्मा और सदस्य जेठमल पुरोहित तथा माणक लाल चांडक ने प्रकरण मंजूर करते हुए युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को निर्देश दिए कि प्रार्थी को 30 दिवस में दावा राशि 3 लाख 14 हजार 281 रुपए मय 9 फीसदी ब्याज और पांच हजार रूपए वाद व्यय अदा करें।

जोधपुर निवासी गजेंद्र मेवाड़ा ने अधिवक्ता अनिल भंडारी के माध्यम से प्रकरण पेश कर कहा कि 24 फरवरी 2019 को हुई दुर्घटना में उनका दावा बीमा कंपनी ने यह कहकर खारिज कर दिया कि दुर्घटना के समय वाहन में 6 व्यक्ति थे, जबकि पंजीकृत बैठक क्षमता 5 ही है। अधिवक्ता भंडारी ने कहा कि दुर्घटना सामने आ रहे बुलडोजर चालक की गलती से हुई है और बीमा कंपनी यह प्रमाणित करने में विफल रही है कि यह हादसा कार में अधिक सवारी की वजह से हुआ है। उन्होंने कहा कि अधिक सवारी होना बीमा पॉलिसी शर्तों का मूलभूत उल्लंघन नहीं होने से दावा खारिज किया जाना बीमा कंपनी की सेवा में त्रुटि और अनुचित व्यापार व्यवहार है।

- बीमा कंपनी को निर्देश दिए कि 30 दिन में दावा राशि मय ब्याज और पांच हजार रूपए वाद व्यय प्रार्थी को अदा करें

बीमा कंपनी की ओर से कहा गया कि परिवहन कार्यालय द्वारा जारी आर सी और बीमा पॉलिसी में बैठक क्षमता पांच ही होने से मोटर वाहन अधिनियम और पॉलिसी शर्तों का घोर उल्लंघन होने से दावा सही खारिज किया है और सर्वेयर ने नुकसान आकलन 93 हजार 515 रुपए ही किया है। स्थाई लोक अदालत ने प्रकरण मंजूर करते हुए कहा कि अधिक सवारी होने की वजह से दुर्घटना साबित नहीं होने से बीमा कंपनी का दावा खारिज किया जाना विधिसम्मत, युक्तियुक्त और न्यायोचित नहीं है। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनी ने अपने जवाब में कम आकलन राशि का अभिकथन नहीं किया है और अपनी साक्ष्य में जो आकलन 93 हजार 515 रुपए का बताया है, उसे स्वीकार किया जाना न्याय के सिद्धांतो के विपरीत होगा। उन्होंने बीमा कंपनी को निर्देश दिए कि 30 दिन में दावा राशि 3 लाख 14 हजार 281 रूपए मय 9 फीसदी ब्याज और पांच हजार रूपए वाद व्यय प्रार्थी को अदा करें।